भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4169
दिनांक 19 अगस्त, 2025 /28 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

रिक्तियों का बैकलॉग

†4169. श्री विजय कुमार हाँसदाक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बैकलॉग रिक्तियों में रिक्तियों को समाप्त किए जाने का खंड लागू है और किन एजेंसियों को इस खंड से छूट दी गई है और किन शर्तों के अधीन यह छूट दी गई है;

(ख) क्या बैकलॉग रिक्तियों में ओबीसी/एससी/एसटी/ईडब्ल्यूएस के लिए श्रेणीवार आरक्षण लागू है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) एसएससी/यूपीएससी के बदले एलडीसीई के माध्यम से भर्ती किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या ओबीसी/ईडब्ल्यूएस के बैकलॉग रिक्तियों के आरक्षण को कम करने या इसे समाप्त करने हेतु किसी अन्य रिक्ति में बदला जा सकता है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ङ)**:** उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सीधी भर्ती और पदोन्नति के सभी मामलों में बैकलॉग रिक्तियों सहित सभी आरक्षित रिक्तियां, जो पिछले वर्षों में रिक्त रह गई हैं, उन्हें भर्ती के लिए एक अलग तथा विशिष्ट समूह माना जाएगा और इन्हें उस वर्ष की आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं माना जाएगा, जिस वर्ष में उन्हें भरा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों के साथ-साथ रिक्तियों का होना और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें विशेष भर्ती अभियान चलाना और संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार एलडीसीई अथवा एसएससी/यूपीएससी के माध्यम से रिक्तियों को भरना शामिल है।

****